"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 3] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 16 जनवरी 2009—पौष 26, शक 1930

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2008

क्रमांक ई-1-1/2008/1/2.—श्री अमित कटारिया, भा. प्र. से. (2004), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रायपुर की सेवायें अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त, नगर निगम, रायपुर के पद पर पदस्थापना हेतु नगरीय विकास विभाग को सौंपी जाती है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.

रायपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2008

क्रमांक ई-1-17/2007/1/2.—भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान (पे बैंड-3, रु. 15600-39100 और ग्रेड पे रु. 6600) में पदोन्नत किया जाता है तथा उन्हें वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान का लाभ नीचे कण्डिका-3 में उल्लिखित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के दिनांक से देय होगा. अधिकारी के नाम के समक्ष दर्शाए पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक यथावत् पदस्थ रहेंगे :—

स. क्र.	अधिकारी का नाम	विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने का दिनांक	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री अविनाश चंपावत (2003)	24-10-2008	कलेक्टर, नारायणपुर
2.	श्री अमित कटारिया (2004)	24-10-2008	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रायपुर.
3.	श्री प्रसन्ना आर. (2004)	31-10-2008	अतिरिक्त प्रबंध संचालक, छ. ग. राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, रायपुर.

2. राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 के तहत अतिरिक्त प्रबंध संचालक, छ. ग. राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, रायपुर के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

रायपुर, दिनांक 1 जनवरी 2009

क्रमांक ई-1-21/2008/1/2.—भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को प्रवर श्रेणी वेतनमान (पे बैंड-4, रु. 37400-67000 और ग्रेड पे रु. 8700) में पदोन्नत किया जाता है तथा उनके नाम के समक्ष उल्लेखित पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है :—

स. क्र.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री बी. एल. तिवारी (1996)	संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग.	विशेष सचिव, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग.
2.	श्री के. आर. पिस्दा (1996)	कलेक्टर, कांकेर	कलेक्टर, कांकेर

2. भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के पत्र क्रमांक 11030/25/2007/एआईएस (II), दिनांक 18-11-2008 के द्वारा प्रवर श्रेणी वेतनमान में पदोन्नति हेतु 09 रिक्तियों के निर्धारण की सहमति प्रदान की गई है.

रायपुर, दिनांक 1 जनवरी 2009

क्रमांक ई-1-21/2003/एक/2.—भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2000 आवंटन वर्ष के निम्नलिखित अधिकारियों को, आवंटन वर्ष से नौ वर्ष की सेवा दिनांक 1-1-2009 को पूर्ण कर लेने के फलस्वरूप, भा. प्र. से. (वेतन) नियम, 1954 के नियम 3 (1) के परन्तुक के अंतर्गत, उक्त तिथि (1-1-2009) से सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान (पे बैंड-3, रु. 15600-39100 और ग्रेड पे रु. 7600) में अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया जाता है :—

स. क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)	नवीन पदस्थापना (4)
1.	सुश्री ओमेगा यूनाईस टोप्पो, (सीजी 2000)	उप सचिव, सहकारिता विभाग	संयुक्त सचिव, सहकारिता विभाग
2.	श्री जेवियर तिग्गा, (सीजी 2000)	कलेक्टर, बीजापुर	कलेक्टर, बीजापुर
3.	श्री एस. एल. रात्रे, (सीजी 2000)	अपर कलेक्टर, दुर्ग	अपर कलेक्टर, दुर्ग
4.	श्री एस. आर. ब्राहम्णे, (सीजी 2000)	अपर आयुक्त, बिलासपुर संभाग/सरगुजा संभाग, मुख्यालय बिलासपुर.	अपर आयुक्त बिलासपुर संभाग/सरगुजा संभाग, मुख्यालय बिलासपुर.
5.	श्री रामसिंह ठाकुर, (सीजी 2000)	अपर आयुक्त, रायपुर संभाग/बस्तर संभाग, मुख्यालय रायपुर.	अपर आयुक्त, रायपुर संभाग/बस्तर संभाग, मुख्यालय, रायपुर.
6.	श्री एन. के. खाखा, (सीजी 2000)	उपायुक्त (विकास) आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर एवं उपायुक्त (राजस्व).	उपायुक्त (विकास) आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर एवं उपायुक्त (राजस्व).

2. श्री एस. आर. ब्राहम्णे, भा. प्र. से., श्री रामसिंह ठाकुर, भा. प्र. से. एवं श्री एन. के. खाखा, भा. प्र. से. द्वारा पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 के तहत अपर आयुक्त, बिलासपुर/सरगुजा संभाग, अपर आयुक्त, रायपुर/बस्तर संभाग तथा उपायुक्त (विकास), आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर एवं उपायुक्त (राजस्व) के असंवर्गीय पदों को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में, भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 30 दिसम्बर 2008

क्रमांक 5181/2317/2008/1/2.—श्री संजय गर्ग, भा. प्र. से., कलेक्टर, राजनांदगांव को दिनांक 11-12-2008 से 19-12-2008 तक (09 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 20 एवं 21 दिसम्बर, 2008 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री गर्ग आगामी आदेश तक कलेक्टर, राजनांदगांव के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री गर्ग को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री गर्ग अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2008

क्रमांक-बी-1-5/2008/एक/4.—श्री ए. के. टोप्पो (रा. प्र. से., आर. आर.-88, अधिसमय वेतनमान), अपर कलेक्टर, महासमुन्द को तत्काल प्रभाव से, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, अतिरिक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग पदस्थ किया जाता है.

2. उपरोक्त पदस्थापना/स्थानांतरण के संबंध में समन्वय में माननीय मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया गया है.

रायपुर, दिनांक 2 जनवरी 2009

क्रमांक ई-7/03/2005/1/2.—श्रीमती संगीता पी., भा. प्र. से., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बिलासपुर को दिनांक 03-01-2009 से 17-02-2009 तक (45 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती संगीता पी., आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बिलासपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगी.

3. अवकाश काल में श्रीमती संगीता पी. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती संगीता पी. अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

5. श्रीमती संगीता पी. के उक्त अवकाश अवधि में श्री पी. डी. झा, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बिलासपुर अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बिलासपुर का चालू कार्य सम्पादित करेंगे.

रायपुर, दिनांक 2 जनवरी 2009

क्रमांक ई-7/31/2004/1/2.—श्री एम. एस. पैकरा, भा. प्र. से., आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर को दिनांक 29-12-2008 से 09-01-2009 तक (12 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 28-12-2008 तथा 10, 11 जनवरी, 2009 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पैकरा आगामी आदेश तक आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री पैकरा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पैकरा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 3 जनवरी 2009

क्रमांक एफ 4-6/2006/1/एक.—राज्य शासन एतद्द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश कुमार अग्निहोत्री, न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर को दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 (01 दिन) का पूर्ण वेतन भत्तों सहित अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति तथा दिनांक 29 एवं 30 नवम्बर, 2008 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ लेने की अनुमति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षेत्रसिंह, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 जनवरी 2009

फा. क्र. 129/3 (बी)/12/2008/21-ब/(मेरिट क्र. 12).—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री अनिल कुमार पाण्डेय, आत्मज श्री भोलानाथ पाण्डेय को छ. ग. निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 6 जनवरी 2009

फा. क्र. 131/3 (बी)/55/2008/21-ब/(मेरिट क्र. 55).—राज्य शासन, एतद्द्वारा कु. रश्मि मंडावी, आत्मजा श्री देव राम मंडावी को छ. ग. निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 6 जनवरी 2009

फा. क्र. 133/3 (बी)/56/2008/21-ब/(मेरिट क्र. 56).—राज्य शासन, एतद्द्वारा कु. यशोदा कश्यप, आत्मजा श्री सुकरू राम कश्यप को छ. ग. निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 6 जनवरी 2009

फा. क्र. 135/3 (बी)/16/2008/21-ब/(मेरिट क्र. 16).—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री अशोक कुमार लाल, आत्मज श्री गोकरन नाथ लाल को छ. ग. निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 6 जनवरी 2009

फा. क्र. 137/3 (बी)/20/2008/21-ब/(मेरिट क्र. 20).—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री जितेन्द्र कुमार सिंह, आत्मज श्री सुरेन्द्र सिंह को छ. ग. निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. शर्मा, सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 सितम्बर 2008

क्रमांक एफ 10-1/2006/16.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों विनियमन) नियम, 2008 के नियम 251 अनुसार समिति का गठन निम्नानुसार करता है :—

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल

(एक) श्री मोहन एंटी, अधिवक्ता, फाफाडीह, रायपुर — अध्यक्ष

(दो) क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त — पदेन सदस्य

(तीन) मुख्य निरीक्षक — पदेन सदस्य

(चार) शासकीय विभागों के प्रतिनिधि

1. प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग — पदेन सदस्य
2. प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग — पदेन सदस्य
3. प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग. — पदेन सदस्य
4. प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग — पदेन सदस्य

(पांच) भवन कर्मकार के प्रतिनिधि

1. श्री योगेश दत्त मिश्रा, ब्राम्हण पारा, राजनांदगांव — सदस्य
2. श्री नरेन्द्र सिंह चौहान, चौबे कॉलानी, रायपुर — सदस्य
3. श्री शरद व्योहारे, फाफाडीह, रायपुर — सदस्य
4. श्री जुगलकिशोर साहू, दीपा पारा, रायगढ़ — सदस्य
5. श्रीमती रेणु देशमुख, ग्राम जेवरा सिरसा, दुर्ग — महिला सदस्य

(छः) नियोजकों के प्रतिनिधि

1. श्री गोरेलाल गुप्ता, कांट्रेक्टर, शिवपारा, दुर्ग — सदस्य
2. श्री देवेन्द्र कुमार चंदेल, कांट्रेक्टर, पोलसाय पारा, दुर्ग — सदस्य
3. श्री मोहन चोपड़ा, अरिहंत बिल्डर्स देवेन्द्र नगर, रायपुर — सदस्य
4. श्री मणिभाई पटेल, कर्सन हेरीटेज, फाफाडीह, रायपुर — सदस्य
5. श्री हरिवल्लभ अग्रवाल, सुन्दर नगर, रायपुर — सदस्य

टः— 1. छत्तीसगढ़ भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) नियम, 2008 के नियम 251 (दो)

में वर्णित एक सदस्य जिसका नाम-निर्देशन केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाना है, का नाम केन्द्र सरकार से प्राप्त होने पर सम्मिलित किया जावेगा.

2. समिति के सदस्यों का कार्यकाल छत्तीसगढ़ भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) नियम, 2008 के नियम 252 अनुसार रहेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग लाल, उप-सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2008

क्रमांक 2016/एफ 4-32/32/2007.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 40 के अन्तर्गत आदेश क्रमांक 249/334/32/2007, दिनांक 8-2-2007 द्वारा श्री वर्धमान सुराना, निवासी हलवाई लाईन, रायपुर को उपाध्यक्ष, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर नियुक्त किया गया था सहपठित आदेश क्रमांक एफ 4-71/32/2004 दिनांक 29-10-2008 द्वारा भी अध्यक्ष का प्रभार सौंपा गया था. श्री वर्धमान सुराना, द्वारा दिनांक 24-12-2008 को अपना त्याग पत्र राज्य शासन को प्रस्तुत किया गया है.

अत: राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1975 का नियम 17 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री वर्धमान सुराना का त्यागपत्र स्वीकार करते हुये आदेश दिनांक से श्री वर्धमान सुराना को उपाध्यक्ष एवं प्रभारी अध्यक्ष, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर के पद से मुक्त करता है तथा धारा 40 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, श्री एस. एस. बजाज, संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, रायपुर को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक अध्यक्ष, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर का प्रभार सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. बैजेन्द्र कुमार, सचिव.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2008

क्रमांक 482/विसऊ/13-1/2008.—छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अंतर्नियम की कंडिका 77 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन श्री पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन एवं श्री डी. एस. मिश्रा, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन को दिनांक 1-1-2009 से उपरोक्त कंपनी का निदेशक नियुक्त करता है.

2. श्री पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन को अंतर्नियम की कंडिका 92 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन उपरोक्त कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त करता है.

3. श्री व्ही. के. वर्मा, उपरोक्त कंपनी के निदेशक को अंतर्नियम की कंडिका 78 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन आगामी आदेश तक उपरोक्त कंपनी का प्रबंध संचालक नियुक्त करता है.

4. नियुक्ति की सेवा शर्तें पृथक से जारी की जायेंगी.

रायपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2008

क्रमांक 484/विसऊ/13-1/2008.—छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड के अंतर्नियम की कंडिका 77 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन श्री पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्री डी. एस. मिश्रा, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन एवं श्री व्ही. के. श्रीवास्तव, सचिव, छ. ग. राज्य विद्युत मण्डल को दिनांक 1-1-2009 से उपरोक्त कंपनी का निदेशक नियुक्त करता है.

2. श्री पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन को अंतर्नियम की कंडिका 92 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन उपरोक्त कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त करता है.

3. श्री व्ही. के. श्रीवास्तव, उपरोक्त कंपनी के निदेशक को अंतर्नियम की कंडिका 78 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन आगामी आदेश तक उपरोक्त कंपनी का प्रबंध संचालक नियुक्त करता है.

4. नियुक्ति की सेवा शर्तें पृथक से जारी की जायेंगी.

रायपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2008

क्रमांक 486/विसऊ/13-1/2008.—छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्नियम की कंडिका 77 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन श्री पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्री विवेक ढांड, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन एवं श्री डी. एस. मिश्रा, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन को दिनांक 1-1-2009 से उपरोक्त कंपनी का निदेशक नियुक्त करता है.

2. श्री पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन को अंतर्नियम की कंडिका 92 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन उपरोक्त कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त करता है.

3. श्री व्ही. के. जैन, जो छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के निदेशक हैं, उन्हें अंतर्नियम की कंडिका 77 (iv) के अंतर्गत इस कंपनी के निदेशक के पद से पदमुक्त किया जाता है.

4. श्री एस. पी. चतुर्वेदी, उपरोक्त कंपनी के निदेशक को अंतर्नियम की कंडिका 78 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन आगामी आदेश तक उपरोक्त कंपनी का प्रबंध संचालक नियुक्त करता है.

5. नियुक्ति की सेवा शर्तें पृथक से जारी की जायेंगी.

रायपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2008

क्रमांक 488/विसऊ/13-1/2008.—छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्नियम की कंडिका 77 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन श्री पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्री विवेक ढांड, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्री डी. एस. मिश्रा, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन एवं श्री एस. एन. चौहान, मुख्य अभियंता, छ. ग. राज्य विद्युत मण्डल को दिनांक 1-1-2009 से उपरोक्त कंपनी का निदेशक नियुक्त करता है.

2. श्री पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन को अंतर्नियम की कंडिका 92 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन उपरोक्त कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त करता है.

3. श्री व्ही. के. जैन, जो छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के निदेशक हैं, उन्हें अंतर्नियम की कंडिका 77 (iv) के अंतर्गत इस कंपनी के निदेशक के पद से पदमुक्त किया जाता है.

4. श्री एस. एन. चौहान, उपरोक्त कंपनी के निदेशक को अंतर्नियम की कंडिका 78 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन आगामी आदेश तक उपरोक्त कंपनी का प्रबंध संचालक नियुक्त करता है.

5. नियुक्ति की सेवा शर्तें पृथक से जारी की जायेंगी.

रायपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2008

क्रमांक 490/विसऊ/13-1/2008.—छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्नियम की कंडिका 77 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन श्री पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्री विवेक ढांड, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्री डी. एस. मिश्रा, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन एवं श्री जी. एस. देशपाण्डे, कार्यपालक निदेशक, छ. ग. राज्य विद्युत मण्डल को दिनांक 1-1-2009 से उपरोक्त कंपनी का निदेशक नियुक्त करता है.

2. श्री पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन को अंतर्नियम की कंडिका 92 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन उपरोक्त कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त करता है.

3. श्री व्ही. के. जैन, जो छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के निदेशक हैं, उन्हें अंतर्नियम की कंडिका 77 (iv) के अंतर्गत इस कंपनी के निदेशक के पद से पदमुक्त किया जाता है.

4. श्री जी. एस. देशपाण्डे, उपरोक्त कंपनी के निदेशक को अंतर्नियम की कंडिका 78 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन आगामी आदेश तक उपरोक्त कंपनी का प्रबंध संचालक नियुक्त करता है.

5. नियुक्ति की सेवा शर्तें पृथक से जारी की जायेंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवासीष दास, विशेष सचिव.

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2008

क्रमांक एफ-10/69/2008/वाक/पांच (56).—चूंकि राज्य शासन का यह समाधान हो गया है कि छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995), केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) एवं छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) के अंतर्गत करदायी व्यवसाइयों की ऐसी सभी कर निर्धारण कार्यवाहियां जिन्हें छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995), की धारा 27 की उपधारा (8) के प्रावधानों के अंतर्गत कलैण्डर वर्ष 2008 के अंत तक पूर्ण किया जाना नियत है, कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा किये जा रहे सभी संभव प्रयासों के उपरांत भी नियत समयावधि में पूर्ण नहीं की जा सकती है. कर निर्धारण अधिकारियों को ऐसी कार्यवाहियों को गुणदोष के आधार पर पूर्ण करने के लिये सक्षम बनाने हेतु, न्याय हित में यह आवश्यक है कि ऐसी कार्यवाहियों को पूर्ण करने के लिये नियत समय-सीमा बढ़ाई जाए.

अतः छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 21 की उपधारा (8) सहपठित छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 27 की उपधारा (9) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा प्रत्येक व्यवसायी के संबंध में उक्त अधिनियमों के अंतर्गत ऐसी प्रत्येक कर निर्धारण कार्यवाहियां जो सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर, वाणिज्यिक कर अधिकारी एवं सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी के समक्ष लंबित हो, जो 31 दिसम्बर, 2008 तक पूर्ण नहीं की जाती है, पूर्ण करने की अवधि 31 जनवरी, 2009 तक बढ़ाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2008

क्रमांक एफ-10/69/2008/वाक/पांच (56).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/69/2008/वाक/पांच (56), दिनांक 31-12-2008 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 31st December 2008

No. F-10/69/2008/CT/V (56).—Whereas, the State Government is satisfied that all such assessment proceedings of dealers liable to pay tax under the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956) and the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), which have to be completed by the end of the calendar year 2008 under the provisions of sub-section (8) of section 27 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), can not be completed within the prescribed period despite all possible efforts being made by the assessing authorities. In order to enable the assessing authorities to complete such proceedings on merits, it is essential in the interest of justice that the time limit prescribed for the completion of such proceedings be extended.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 21 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005) read with sub-section (9) of section 27 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995) the State Government, hereby, extends up to 31st January, 2009, the period of completion of every such assessment proceedings under the said Acts in respect of every dealer pending before the Assistant Commissioner of Commercial Tax, Commercial Tax Officers and Assistant Commercial Tax Officers which is not completed by the 31st December, 2008.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Joint Secretary.

गृह (सामान्य) विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 दिसम्बर 2008

संशोधित अधिसूचना

क्रमांक एफ-9-60/दो/गृह/परीक्षा/2008.—इस विभाग द्वारा जारी अधिसूचना समसंख्यक पत्र क्रमांक-दिनांक 31-10-2007 द्वारा "प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया प्रथम प्रश्नपत्र भाग-ए, बी, सी, द्वितीय एवं तृतीय प्रश्नपत्र" विषय के परीक्षा केन्द्र रायपुर के सरल क्रमांक ;23 पर सुश्री रीता यादव, पदनाम सी. ई. ओ. प्रथम में सश्रेय, से उत्तीर्ण घोषित किया गया है, जिसके स्थान पर निम्नानुसार पढ़ा जावे :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

1.	सुश्री रीता यादव	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में सश्रेय से उत्तीर्ण एवं तृतीय प्रश्नपत्र में अनुत्तीर्ण

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय पिल्ले, सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 27 दिसम्बर 2008

क्रमांक/241/भू-अर्जन/2008.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	चारामा	कांशीपुर	13.36	कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन विभाग तांदुला, जिला दुर्ग.	आमाडुला जलाशय निर्माण योजना हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. पिस्दा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 16 दिसम्बर 2008

क्रमांक/2644/अ 82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बालोद	अरमुरकसा प. ह. नं. 20	4.27	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	नवापारा जलाशय के अंतर्गत रपटा एवं नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डी लोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 16 दिसम्बर 2008

क्रमांक/2647/अ. 82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौंडी लोहारा	गोडमर्रा प. ह. नं. 16	0.25	अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग (भ-स) बालोद अनुविभाग क्रमांक-1.	ग्राम सुरेगांव से गोडमर्रा मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डी लोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 22 दिसम्बर 2008

क्रमांक/भू-अर्जन/2008/11195.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुईखदान	बसावर प. ह. नं. 10	6.76	सुतियापाट परियोजना संभाग, स. लोहारा, जिला-कबीरधाम.	कर्रानाला बैराज परियोजना वितरक नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खैरागढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 22 दिसम्बर 2008

क्रमांक/भू-अर्जन/2008/11196.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुईखदान	नादिया प. ह. नं. 10	8.64	सुतियापाट परियोजना संभाग, स. लोहारा, जिला-कबीरधाम.	करानाला बैराज परियोजना वितरक नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खैरागढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 22 दिसम्बर 2008

क्रमांक/भू-अर्जन/2008/11197.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुईखदान	बरबसपुर प. ह. नं. 11	0.48	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग, स. लोहारा.	सुतियापाट परियोजना के अन्तर्गत पेंडरवानी माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खैरागढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 22 दिसम्बर 2008

क्रमांक/11200/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	खैरागढ़	दल्लीखोली प. ह. नं. 1	4.42	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, छुईखदान.	प्रधानपाठ बैराज योजना अंतर्गत डुबान हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 24 दिसम्बर 2008

क्रमांक/11287/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया (खुज्जीवृत्त)	चिरचारीखुर्द	1.15	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग/सेतु निर्माण संभाग, राजनांदगांव.	माथलडबरी-सीताकसा मार्ग के कि. मी. 6/4 पर घुमरिया नाला में पुल पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 16 सितम्बर 2008

क्रमांक 16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-करतला
- (ग) नगर/ग्राम-उमरेली, प. ह. नं. 07
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.122 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	750/1	0.012
	1408	0.089
	761	0.032
	762/2	0.077
	762/5	0.045
	763/2	0.049
	763/1	0.101
	775/1	0.081
	810	0.125
	1414	0.040
	1411/1	0.016
	1410	0.016
	1407/1	0.008
	1411/2	0.036
	1409	0.016
	1448	0.097
	1447/1	0.028
	1447/3	0.008
	1447/2	0.036
	1449/2	0.081
	1449/1	0.129
योग	21	1.122

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नवापारा माइनर नं. 1, नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 29 दिसम्बर 2008

क्रमांक/238/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-कांकेर
- (ग) नगर/ग्राम-कुरिष्टीकुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.94 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
895	0.28
877	0.07
880	0.20

(1)	(2)
896	0.09
869	0.10
874	0.06
870	0.08
826	0.10
471	0.12
468	0.03
837	0.02
827	0.02
825	0.04
467	0.08
823	0.09
464	0.07
454	0.48
460	0.07
459	0.06
461	0.05
403	0.53
364	0.01
365	0.03
369	0.22
462	0.01
458	0.02
893	0.01
योग	2.94

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-बांधापारा जलाशय के मुख्य नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कांकेर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. पिस्दा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 27 दिसम्बर 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 15 /अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-केराझर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-30.543 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
339	0.125
402	0.032
403/1	0.279
404	0.040
335	0.219
398	2.177
410	1.558
337	0.393
341	1.084
338/1	0.526
338/2	0.518
338/3	0.518
408/4	0.040
408/5	0.028
408/8	0.032
408/9	0.028
405/4 ख, 406/1	0.081
380/7	0.012
380/10	0.150
380/12	0.150
403/2	0.162
403/3	0.219

(1)	(2)
378/7	0.019
405/1	0.194
405/11क, 406/7	0.113
405/10	0.194
408/3	0.012
378/2	0.065
378/6	0.178
409/2	0.162
409/9	0.069
405/3ख, 406/4	0.263
405/5क	0.097
378/5	0.053
405/7क	0.097
405/7ख, 406/4	0.101
409/6	0.186
405/15	0.113
405/14	0.041
393/2	0.809
408/18	0.202
405/6क	0.097
405/6ख, 406/3	0.101
405/21, 408/25	0.077
405/8क	0.129
409/3	0.069
405/8ख, 406/5	0.101
405/22, 408/26	0.077
340	0.069
375/2	1.011
380/3	0.004
380/8	0.149
380/11	0.158
389/3	0.150
375/4	0.040
389/4	0.405
375/5	0.041
408/21	0.028
380/5	0.688
393/5	0.538
393/3	0.195
393/4	0.121
375/10	0.490
380/6	0.004
380/9	0.044
380/13	0.158
393/6	0.109
411/2	0.049
408/7	0.121
405/2	0.380
405/17, 408/23	0.153

(1)	(2)
405/4क	0.097
405/5ख, 406/2	0.259
405/11ख, 406/8	0.057
378/3	0.040
409/4	0.101
409/7	0.101
378/4	0.040
409/5	0.101
409/8	0.101
405/12, 406/9	0.057
405/13, 406/10	0.259
405/18	0.008
405/19	0.028
405/20, 408/24	0.105
407	0.255
408/19	0.405
405/9	0.077
408/2	0.425
413	0.470
415	0.364
408/11	0.971
408/12	1.011
408/13	1.012
408/14	1.011
408/15	0.607
408/28	0.404
408/16	1.011
408/17	0.849
408/29	0.162
408/20	0.809
414	0.817
416/1	0.032
416/2	0.170
380/1	1.011
378/8	0.019
405/3 क	0.202
योग 108	30.543

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- कच्चेमाल एवं बॉय प्रोडक्ट्स स्टाकयार्ड निर्माण हेतु औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामसिंह, कलेक्टर, एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 22 दिसम्बर 2008

क्रमांक/11198/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-खैरागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-मड़ौदा, प. ह. नं. 29
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.237 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	613/1	0.040
	613/2	0.040
	613/3	0.040
	613/4	0.040
	620	0.024
	621	0.053
योग	6	0.237

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जालबांधा, बिरौड़ी, मड़ौदा मार्ग के कि. मी. 6/6 पर आमनेर नदी पर पुलमय पहुंच निर्माण हेतु अर्जित.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 22 दिसम्बर 2008

क्रमांक/11199/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-खैरागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-बिरौड़ी, प. ह. नं. 29
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.125 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	140/1	0.069
	141/1	0.024
	140/3	0.032
योग	03	0.125

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जालबांधा, बिड़ौरी, मड़ौदा मार्ग के कि. मी. 6/6 पर आमनेर नदी पर पुलमय पहुंच मार्ग.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 22 दिसम्बर 2008

क्रमांक/11201/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-भेण्डरवानी, प. ह. नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.44 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	350/1	0.44
योग		0.44

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भेण्डरवानी जलाशय के बांध पार पाई निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 1 जनवरी 2009

क्रमांक 455/अ.वि.अ./भू-अर्जन/01/अ/82/2007-08.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-गरियाबंद
- (ग) नगर/ग्राम-चिखली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.71 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	242/1	0.08
	242/2	0.26
	221	0.42
	127	0.04
	110	0.27
	118	0.01
	115	0.13
	111	0.06
	35/2	0.23
	39/2	0.21
योग	10	1.71

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसकें लिए भूमि की आवश्यकता है-पैरी घुम्मर व्यपवर्तन योजनान्तर्गत बायीं तट मुख्य नहर निर्माण के अंतर्गत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 1 जनवरी 2009

क्रमांक 456/अ.वि.अ./भू-अर्जन/02/अ/82/2007-08.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-गरियाबंद
- (ग) नगर/ग्राम-हाथबाय
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.85 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
220/1	0.28
241/1	0.12
220/2	0.08
222/2	0.01
224	0.13
227	0.02
305	0.01
228	0.18
238	0.05
371	0.02
239	0.04
363	0.06
240	0.06
366	0.12
241/2	0.10
306	0.04
362	0.14
309	0.51
311	0.22
312	0.13
313	0.08
318	0.30
314	0.23
316	0.11
325	0.01

(1)	(2)
352/1	0.13
361	0.08
385	0.08
365	0.01
370	0.08
384	0.08
387	0.34
योग 32	3.85

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-पैरी घुम्मर व्यपवर्तन योजनान्तर्गत बायीं तट मुख्य नहर निर्माण के अंतर्गत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 1 जनवरी 2009

क्रमांक 457/अ.वि.अ./भू-अर्जन/04/अ/82/2007-08.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-गरियाबंद
- (ग) नगर/ग्राम-कोसमबुड़ा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.19 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
57	0.09
65	0.05
450	0.19
451	0.14
452	0.11

(1)	(2)
639/1	0.01
641/2	0.14
641/3	0.05
639/2	0.02
642/4	0.01
640	0.28
641/1	0.09
642/2	0.01
योग 13	1.19

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-पैरी घुम्मर व्यपवर्तन योजनान्तर्गत बायीं तट मुख्य नहर निर्माण के अंतर्गत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 1 जनवरी 2009

क्रमांक 458/अ.वि.अ./भू-अर्जन/05/अ/82/2007-08.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-गरियाबंद
- (ग) नगर/ग्राम-नागाबुड़ा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.40 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1070	0.10
1071	0.24
1073/1933	0.05
1099	0.04

	(1)	(2)
	1880	0.04
	1882	0.03
	1881	0.13
	1885	0.34
	1887	0.02
	1893	0.01
	1922	0.03
	1925	0.01
	1926	0.22
	1928	0.08
	1927	0.06
योग	15	1.40

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-पैरी घुम्मर व्यपवर्तन योजनान्तर्गत बायीं तट मुख्य नहर निर्माण के अंतर्गत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 1 जनवरी 2009

क्रमांक 459/अ.वि.अ./भू-अर्जन/07/अ/82/2007-08.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-गरियाबंद
- (ग) नगर/ग्राम-पण्डरीपानी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.14 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	122	0.30
	127	0.02
	152	0.01
	153	0.54
	160	0.01
	163	0.13
	176	0.19
	175	0.03
	179	0.01
	189/1	0.10
	189/2	0.12
	191	0.18
	263/3	0.02
	459	0.01
	460	0.14
	464	0.02
	486	0.01
	538	0.56
	543	0.07
	544	0.09
	487	0.16
	512	0.36
	452/2	0.19
	545	0.05
	546	0.13
	547	0.01
	548	0.02
	549	0.19
	550	0.09
	551	0.02
	552	0.13
	553	0.16
	554	0.07
योग	33	4.14

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-पैरी घुम्मर व्यपवर्तन योजनान्तर्गत बायीं तट मुख्य नहर निर्माण के अंतर्गत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 1 जनवरी 2009

क्रमांक 460/अ.वि.अ./भू-अर्जन/08/अ/82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-छुरा
- (ग) नगर/ग्राम-परसदाखुर्द
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.097 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	112/17	0.024
	112/28	0.073
योग	02	0.097

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-कोटरी नाला जलाशय योजना के अंतर्गत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-गरियाबंद
- (ग) नगर/ग्राम-घटौद
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.05 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	406	0.11
	466	0.07
	409	0.16
	465/2	0.04
	465/3	0.04
	544	0.02
	408	0.04
	413/2	0.12
	414	0.04
	415	0.15
	420	0.01
	600	0.02
	602	0.22
	604	0.01
योग	14	1.05

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-घटोद जलाशय के नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 1 जनवरी 2009

क्रमांक 461/अ.वि.अ./भू-अर्जन/11/अ/82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

रायपुर, दिनांक 14 जनवरी 2009

क्रमांक 2250/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र. क्र./07/अ-82/वर्ष 07-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायपुर
(ख) तहसील-रायपुर
(ग) नगर/ग्राम-बिरगांव, प. ह. नं. 101
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.259 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
4/1	0.332
4/2	0.340
5/1	0.332
5/2	0.405
5/3	0.707
6/1	0.125
6/2	0.126
7/1	1.109
7/2	0.368
10/3	0.129
10/4	0.097
19/4, 295	0.189
योग 12	4.259

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-मेटल पार्क की स्थापना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) उद्योग आयुक्त, उद्योग संचालनालय, रायपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.